भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
30 जुलाई 2025 को अपराह्न 03:00 बजे
अभिषद कक्ष में आयोजित की गई
सीनेट की 234वीं बैठक के कार्यवृत्त

सीनेट की 234वीं बैठक दिनांक 30 जुलाई 2025 को अपराह्न 03:00 बजे अभिषद कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/विशेष आमंत्रितों के नाम **परिशिष्ट– 'ए'** में दिए गए हैं। गणपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण बैठक अपराह्न 3:05 बजे स्थगित की गई तथा अपराह्न 3:10 बजे पुनः आरंभ की गई।

बैठक के आरम्भ में, अध्यक्ष, सीनेट ने निवर्तमान सदस्यों/आमंत्रितों का उनके मूल्यवान योगदान के लिए आभार प्रकट किया तथा सीनेट के नए सदस्यों/ आमंत्रितों का स्वागत किया। निवर्तमान एवं नए सदस्यों/ आमंत्रितों की सूची **परिशिष्ट– 'बी'** में दी गई है।

मद संख्या 1: सीनेट की 233वीं बैठक (दिनांक 28 मई 2025), (ख) सीनेट की विशेष बैठक (दिनांक 11 जून 2025), (ग) सीनेट की विशेष बैठक (दिनांक 10 जुलाई 2025) के कार्यवृत्तों की पुष्टि

सीनेट की 233वीं बैठक, दिनांक 28 मई 2025, (ख) सीनेट की विशेष बैठक, दिनांक 11 जून 2025, (ग) सीनेट की विशेष बैठक, दिनांक 10 जुलाई 2025 के कार्यवृत्तों की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: सीनेट की पूर्व बैठकों से संबंधित कृत कार्रवाई रिपोर्ट

सीनेट की पूर्व बैठकों से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर की गई कार्रवाई बैठक में प्रस्तुत की गई:

i. जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को एक्स्प्लोर करने हेतु समिति की संस्तुति पर विचार करना।

आवश्यकतानुसार, संस्तुतियों को संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित कर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है।

ii. डिप्लोमा प्रदान किए जाने के पश्चात अध्ययन जारी रखने का अनुरोध।

नए पाठ्यक्रम में एग्ज़िट पॉलिसी पर निर्णय के पश्चात् एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

iii. अद्यतन पीएच.डी अध्यादेश

सूचित किया गया कि इस विषय को 31 जुलाई 2025 को होने वाली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया है।

iv. पाठ्यक्रम समीक्षा की वस्तुस्थिति

सह-संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक (पाठ्यक्रम) ने सूचित किया कि पी.जी. कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट सीमा में संशोधन की आवश्यकता है। यह निर्णय लिया गया कि (i) एमटेक. एवं एम.डिज़ाइन पूर्णकालिक विद्यार्थियों के लिए प्रति सेमेस्टर न्यूनतम 12 तथा अधिकतम 18 क्रेडिट होंगे, (ii) एमटेक. अंशकालिक एवं एच.वी.ए. विद्यार्थियों के लिए प्रति सेमेस्टर न्यूनतम 3 तथा अधिकतम 12 क्रेडिट होंगे, तथा (iii) एम.पी.पी., एम.ए., एम.एस.सी विद्यार्थियों के लिए प्रति सेमेस्टर न्यूनतम 15 तथा अधिकतम 21 क्रेडिट होंगे। यह संशोधन कार्यक्रम की अद्यतित कुल क्रेडिट आवश्यकता के आधार पर है। यह निर्णय भी लिया गया कि कार्यक्रमों की न्यूनतम रेजिडेंसी अवधि की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए तथा क्या विद्यार्थियों को क्रेडिट्स की शीघ्र पूर्णता पर स्नातक उपाधि प्रदान किया जाए। समिति की रिपोर्ट सीनेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार, क्रेडिट सीमाओं में संशोधन किया जा सकता है।

सीनेट को यह भी सूचित किया गया कि डीडी2 तथा एमटी6 कार्यक्रम के निर्धारण को संतुलित करने के लिए कुछ छोटे परिवर्तन किए गए हैं।

अनुमोदित पाठ्यक्रमों पर भी जानकारी प्रस्तुत की गई। नए पाठ्यक्रमों के लिए पुराने विद्यार्थियों के पंजीकरण के संबंध में चर्चा की गई। (i) यह पुनः स्पष्ट किया गया कि नए विद्यार्थियों को पुराने पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ii) यह निर्णय लिया गया कि पुराने विद्यार्थियों को ए.यू.आर.सी. अथवा डी.यू.जी.सी. की संस्तुतियों के माध्यम से नए पाठ्यक्रमों में पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है। संस्तुतियों में पुराने पाठ्यक्रमों के समतुल्य कोई पाठ्यक्रम उपलब्ध ना होने तथा अभी या भविष्य में पाठ्यक्रमों के ओवरलैप के कारण विद्यार्थी को पाठ्यक्रम से वंचित नहीं किए जाने के संबंध में ए.यू.आर.सी./डी.यू.जी.सी. द्वारा सत्यापन किये जाने की पुष्टि की जाए।

मद संख्या 3: अनुमोदन हेतु

(i) सत्र 2024-2025 के दौरान संस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण सफल अभ्यर्थियों को डिग्री, डिप्लोमा आदि प्रदान करना; तथा

(ii) पदक / पुरस्कार / प्रमाणपत्र आदि प्रदान करना।

सीनेट ने नोट किया कि दीक्षांत समारोह – 2025 (दिनांक 30.07.2025 तक) में डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार होगी:

क्रम संख्या	कार्यक्रम	संख्या
1	पीएच.डी.	529
2	एम.एस. (रिसर्च)	62
3	एम.टेक.	488
4	एम.डिज़ाइन	23
5	एम.बी.ए	172
6	एम.पी.पी	19
7	पीजी डिप्लोमा (नेवल)	35
8	एम.एससी.	218
9	डीआईआईटी	7
10	वीएलएफएम	31
11	बी.टेक.	1042
12	ड्यूअल डिग्री (बी.टेक. एवं एम.टेक.)	121
13	एडवांस्ड स्टैंडिंग के अंतर्गत बी.टेक. एवं एम.टेक.	03
14	स्नातक पूर्व डिप्लोमा	07
	कुल	**2757**

सीनेट ने बी.ओ.जी को एजेंडा नोट में प्रस्तावित अनुसार उम्मीदवारों को डिग्री, डिप्लोमा तथा मेडल/ पुरस्कार प्रदान करने की संस्तुति दी।

इसके बाद, सीनेट ने अध्यक्ष को प्राधिकृत किया कि वह अन्य उम्मीदवारों (यदि हों), जो आवश्यकताएँ पूरी कर, दीक्षांत समारोह से पहले डिग्री, डिप्लोमा, पुरस्कार आदि प्राप्त करने के पात्र हो गए हों, के नामों को संशोधित / अनुमोदित कर सकें। सीनेट सदस्यों और विभाग/ केंद्र प्रमुखों से अनुरोध किया गया कि वे एजेंडा नोट के **परिशिष्ट 1** में उम्मीदवारों की सूची में पाई गई किसी भी विसंगति को कुलसचिव/ संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) को सूचित करें।

संकल्प सं. 2025/234/1:	संकल्प लिया गया कि **परिशिष्ट 1** में सूचीबद्ध उम्मीदवारों को 2 अगस्त 2025 को होने वाले दीक्षांत समारोह, 2025 में डिग्री/ डिप्लोमा/ मेडल/ पुरस्कार प्रदान करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संस्तुति की जाए। इसके अतिरिक्त संकल्प लिया गया कि सीनेट ने अध्यक्ष को अन्य उम्मीदवारों (यदि हों), जो आवश्यकताएँ पूरी कर, दीक्षांत समारोह से पहले डिग्री, डिप्लोमा, पुरस्कार आदि प्राप्त करने के पात्र हो गए हों, के नामों को संशोधित / अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया।

मद संख्या 4: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और सोरबोन विश्वविद्यालय, पेरिस, फ्रांस के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के प्रस्ताव पर विचार करना।

प्रो. मणिदीपा बनर्जी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और सोरबोन विश्वविद्यालय, पेरिस, फ्रांस के बीच संयुक्त पीएच.डी और एम.एससी. कार्यक्रमों के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। सूचित किया गया कि इस विषय पर बी.ई.आर.पी. और बी.ए.पी. बैठकों में चर्चा हो चुकी है। प्राप्त टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।

विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संस्तुति देने के लिए स्वीकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि एम.एससी. कार्यक्रम के लिए समान सी.जी.पी.ए. निर्धारित करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसे सीनेट की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

संकल्प सं. 2025/234/2	संकल्प लिया गया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और सोरबोन विश्वविद्यालय, पेरिस, फ्रांस के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संस्तुति हेतु अनुमोदित किया जाए।

मद संख्या 5: संशोधित संयुक्त डिग्री नीति पर विचार करना।

सह-संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक (पी.जी. रिसर्च) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पिछली संयुक्त डिग्री नीति की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। सूचित किया गया कि इस विषय पर बी.ए.पी. बैठक में चर्चा की जा चुकी है और प्राप्त टिप्पणियों को सम्मिलित कर लिया गया है।

सीनेट ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। विचार-विमर्श के उपरांत संशोधित संयुक्त डिग्री नीति को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया गया तथा कुछ परिवर्तनों का सुझाव भी दिया गया। सुझावों को सम्मिलित करते हुए संशोधित नीति **परिशिष्ट 2** में दी गई है। यह भी निर्णय लिया गया कि विस्तृत दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन नीति पुनः सीनेट के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

संकल्प सं. 2025/234/3:	संकल्प लिया गया कि संयुक्त डिग्री नीति के प्रस्ताव को सुझाए गए परिवर्तनों के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया जाए तथा इसके विस्तृत दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन नीति को सीनेट के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या 6: (क) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: पाठ्यक्रम क्रमांक में परिवर्तन सहित पुराने पाठ्यक्रम (ख) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: विशेष विषय, प्रोजेक्ट तथा नॉन-ग्रेडेड पाठ्यक्रम (ग) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: नए पाठ्यक्रम पर विचार करना।

सीनेट ने (क) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: पाठ्यक्रम क्रमांक में परिवर्तन सहित पुराने पाठ्यक्रम (ख) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: विशेष विषय, प्रोजेक्ट तथा नॉन-ग्रेडेड पाठ्यक्रम (ग) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: नए पाठ्यक्रम पर विचार किया।

विस्तृत चर्चा के उपरांत, **परिशिष्ट 3** में दिए गए पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया। सीनेट ने संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक तथा यू.जी.सी.आई.सी./पी.जी.सी.आई.सी. को पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स अथवा पाठ्यक्रम संख्याओं में मामूली परिवर्तन, यदि कोई हो, को अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया।

मद संख्या 7: अनुसमर्थन मद

i. **प्रबंधकों के लिए ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा- 'ए.आई.-एम.एल. फॉर मैनेजर्स' से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करना।**

सीनेट ने 'सतत शिक्षा कार्यक्रम- कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम' (सीईपी) के माध्यम से प्रबंधकों के लिए "ए.आई.- एम.एल. फॉर मैनेजर्स" विषय में ऑनलाइन पी.जी. डिप्लोमा प्रारंभ करने के लिए अध्यक्ष, सीनेट द्वारा प्रदत्त अनुमोदन का अनुसमर्थन किया।

मद संख्या 8: (क) पाठ्यक्रम संख्या में परिवर्तन सहित पुराने पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार करना।

सीनेट ने (क) पाठ्यक्रम संख्या में परिवर्तन सहित पुराने पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार किया।

विस्तृत चर्चा के उपरांत, **परिशिष्ट 4** में दिए गए पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। सीनेट ने संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक तथा यू.जी.सी.आई.सी./पी.जी.सी.आई.सी. को पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स अथवा पाठ्यक्रम संख्याओं में, मामूली परिवर्तन,यदि कोई हो, को अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया।

मद संख्या 9: (क) पाठ्यक्रम संख्या में परिवर्तन सहित पुराने पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार करना।

सीनेट ने (क) पाठ्यक्रम संख्या में परिवर्तन सहित पुराने पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार किया।

विस्तृत चर्चा के उपरांत, **परिशिष्ट 5** में दिए गए पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया। सीनेट ने संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक तथा यू.जी.सी.आई.सी./पी.जी.सी.आई.सी. को पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स अथवा पाठ्यक्रम संख्याओं में, मामूली परिवर्तन,यदि कोई हो, को अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया।

मद संख्या 10: रिपोर्टिंग मद

i) **पुस्तकालय सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिपोर्ट करना।**

सीनेट ने दिनांक 24 जून 2025 को आयोजित पुस्तकालय सलाहकार समिति की 124वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया।
अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा विशेष आमंत्रितों के प्रति आभार व्यक्त किया।

अतुल व्यास
कुलसचिव

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
हौज खास, नई दिल्ली – 110016

No. IITD/AREG/Senate/234/2025/437344234 दिनांक: 20.08.2025

कार्यवृत्त की एक प्रति [234 वीं बैठक, दिनांक 20 जुलाई 2025], सीनेट के सभी सदस्यों की जानकारी और रिकॉर्ड हेतु भेजी जाती है। सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी टिप्पणी/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, यथाशीघ्र भेजें।

यदि 26.08.2025 तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप रिकॉर्ड किए गए कार्यवृत्त को अनुमोदित करते हैं।

अतुल व्यास
कुलसचिव

प्रति:
सीनेट के सभी सदस्य / विशेष आमंत्रित